तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज नजरसानी/एल.आर./**01/2016** (जीसीएमएस/2016/00081) **नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम श्री देवीलाल गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.2021	उपस्थिति दौराने बहसः श्री एन.एस.चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता अप्रार्थी-1 **<u>आदेश</u>** प्रार्थी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा यह नजरसानी प्रार्थना पत्र धारा-86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-2014/49-अपील में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मौजा बलीचा के आराजी नम्बर 1027 रकबा 0.1450 हैक्टर, आराजी नम्बर 1028 रकबा 0.0100 एवं आराजी नम्बर 1029 रकबा 0.4000 कुल किता-3 रकबा 0.5550 हैक्टर भूमि केसा, तारु, सवा एवं अमरा के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि श्री देवीलाल गुर्जर एवं श्री आजाद लोढ़ा, राकेश लोढ़ा, नितेश लोढ़ा, श्रीमती मिनाक्षी लोढ़ा, श्री गिरिराज गुर्जर द्वारा जरिये विक्रय इकरार दिनांक 05-04-1998 को खरीदना तय किया। इस भूमि में देवीलाल गुर्जर का हिस्सा 1043.25 था। जिसमें उसके द्वारा दुकाने बनाते हुए एक बोरिंग खुदवा रखा है। उक्त भूमि का इकरार नामे के आधार पर रुपान्तरण कराने हेतु उनके द्वारा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 90-बी कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु उक्त आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुए श्री देवीलाल गुर्जर के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को सड़क में दर्शाते हुए शेष सम्पूर्ण भाग का पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 29-11-2000 पारित किया गया, जिसमें श्री देवीलाल गुर्जर को भी भूखण्ड प्राप्त नही होने से उसके द्वारा उक्त आदेश व्यथीत होकर अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में प्रस्तुत की गई जिसे प्रकरण संख्या-2014/49 से दर्ज की गई। तत्समय उक्त प्रकरण के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 बाद सूचना के भी अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 तक के सम्मन जरिये समाचार पत्र के माध्यम से जारी करने के पश्चात भी निर्धारित समय पर उनके से कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 एवं 10 की ओर से उनके अधिवक्तागण उपस्थित हुए। जिनकी बहस दिनांक 14.09.2015 को सुनी जाकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 22.09.2015 को पारित कर प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का पुनग्रहण आदेश दिनांक 29.11.2000 को निरस्त किया गया। प्रार्थी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-2014/49-अपील में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 के विरूद्ध यह नजरसानी प्रार्थना पत्र धारा-86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत की गई। साथ ही प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज नजरसानी/एल.आर./**01/2016** (जीसीएमएस/2016/00081) **नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम श्री देवीलाल गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा-5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया। नजरसानी प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अभिलेख भी तलब किये गये। दिनांक 12.01.2021 को अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी-1 उपस्थित हुए, जिनकी बहस सुनी गई। दिनांक 13.01.2021 को नजरसानी प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी-6 से 9 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने नजरसानी मेमों में उल्लेखित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अपील संख्या-2014/49 में अपीलार्थी श्री देवीलाल द्वारा पक्षकार संख्या-1 से 10 बनाये गये लेकिन नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को पक्षकार नहीं बनाया जबकि उक्त प्रकरण में प्रार्थी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर भी एक आवश्यक पक्षकार था क्योकि उक्त अपील नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के आदेश के विरूद्ध ही पेश की गई थी। ऐसे से नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थी की कोई तामिल नहीं हुई थी, न ही प्रार्थी को सुना गया था। आप न्यायालय द्वारा निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर स्पष्ट अंकित गया है कि प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा विवादित भूमि के समस्त हिस्सेदारान को नहीं सुना जाकर पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 29.11.2000 पारित किया जाना पूर्णरूपेण विधिसंगत होना प्रतीत नहीं होता है। इससे आप न्यायालय की यह भावना प्रतीत होती है कि सभी खातेदारान को पुनः सुनकर आदेश पारित किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को आप न्यायालय द्वारा रिमाण्ड किये जाने की भावना निर्णय से स्पष्ट प्रदर्शित होती है लेकिन सहवन से रिमाण्ड शब्द छुट गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थी को उपरोक्त प्रकरण में सुनकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उपरोक्त प्रकरण 2014/49 अपील में पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान करावें। दिनांक 13.01.2021 को नजरसानी प्रार्थना पत्र के अप्रार्थी-6 से 9 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत का नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के उक्त कथनों का समर्थन करते हुए रिमाण्ड शब्द जोडा जाना आवश्यक होना बताया है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी-1 द्वारा उपरोक्त कथनों के खण्डन में मौखिक एवं लिखित जवाब में प्रस्तुत किया कि प्रकरण में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जो कि प्रार्थी है, पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हे नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अपील में और भी पक्षकारान थे जिनके प्रार्थना पत्र नगर विकास प्रन्यास द्वारा पुनर्ग्रहण आदेश पारित किया था उनके द्वारा न तो रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और न ही विधि अनुसार किसी तरह की कोई अपील ही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। नगर विकास प्रन्यास उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार नहीं है। ऐसी स्थिति में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को इस तरह का प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज नजरसानी/एल.आर./**01/2016** (जीसीएमएस/2016/00081) **नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम श्री देवीलाल गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावें।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए नजरसानी प्रार्थना पत्र के उल्लेखित आक्षेपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया है।

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थी अपील में पक्षकार नहीं था। यह पाया गया कि प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र के साथ धारा-96 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जो अत्यावश्यक है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र उसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो कि पूर्व पारित निर्णय में पक्षकार हो या ऐसे तत्व मौजूद हो जिससे स्वप्रेरणा से भी पुनरावलोकन किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपील संख्या-2014/49 में पक्षकार नही था, न ही उसके द्वारा धारा-96 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गई जो अवधारणानुसार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

जहां तक स्वप्रेरणा से पुनरावलोकन करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्य न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकता है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जा सकता है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान दिये गये है। नजरसानी का दायरा अत्यधिक सीमित होता है और नजरसानी की आड में प्रकरण का पुनःपरीक्षण नहीं किया जा सकता है। यहा तक कि यदि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो तो भी यह नजरसानी के लिये आधार नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यु पीटीशन संख्या-662/2001 बउनवान सुरेन्द्रकुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2004 में प्रतिपादित किया गया है। अतः ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे स्वप्रेरणा से यह प्रकरण पुनरावलोकन किये जाने योग्य हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों का यह भी अभिमत है कि पुनरावलोकन तभी किया जा सकता है जब अभिलेख के आमुख पर ऐसी कोई गलती प्रकट हो जिसे न्यायालय रिकार्ड पर रखना ही पसंद नहीं करें। स्पष्टतः न्यायालय की अपने निर्णय को पुनरावलोकन की शक्ति वस्तुतः अत्यंत सीमित है और उनका उपयोग अभिलेख पर प्रकट त्रुटि को ठीक करने के लिये ही करना चाहिये, अपीलीय कोर्ट के रूप में नहीं। इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण में आक्षेपित आदेश दिनांक 22.09.2015 के विखंडित, परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती।

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर जबकि प्रार्थी आक्षेपित निर्णय के प्रकरण में पक्षकार नहीं था, नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं है। आक्षेपित निर्णय में अभिलेख पर प्रकट कोई त्रुटि विद्यमान नहीं है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज नजरसानी/एल.आर./**01/2016** (जीसीएमएस/2016/00081) **नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर बनाम श्री देवीलाल गुर्जर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुनरावलोकन न्यायालय की शक्तियां अपीलीय न्यायालय के मुकाबिल अत्यन्त सीमित है, ऐसी स्थिति में न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2015 को पुनरावलोकन किया जाना उचित नहीं है। परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (विकास सीतारामजी भाले) संभागीय आयुक्त, उदयपुर	